

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जून 2020 — आषाढ़ 9, शक 1942

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 19 जून 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-37/2020/वा.क.(आब.)/पांच(77).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) तथा उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

उक्त नियम में :-

नियम 17 के उप नियम (2) में शब्द समूह “1[एफ.एल.06 या एफ.एल.10 या एफ.एल.10क] के अनुज्ञापतिधारियों को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन, की छूट अनुज्ञेय नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त अनुज्ञापतिधारक से कम पाई गई मात्रा पर विहित दर पर शुल्क तथा बोतल फीस वसूली योग्य होगी” के स्थान पर “1[एफ.एल.06 या एफ.एल.10 या एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख] के अनुज्ञापतिधारियों को बोतलों में भरी विदेशी मदिरा के भण्डारण पर कोई छीजन, की छूट अनुज्ञेय नहीं है। सत्यापन के दौरान कोई कमी पाई जाने पर, नियम 19 के अधीन अधिरोपित करने योग्य किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त संबंधित अनुज्ञापतिधारक से कम पाई गई मात्रा पर फुटकर विक्रय दर के समतुल्य राशि वसूली योग्य होगी।” प्रतिस्थापित किया जावे।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01-04-2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.